प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी.एसीबी. स्पेशल यूनिट अजमेर ....थाना.सीपीएस. एसीबी. जयपुर वर्ष .. 2023..........

प्र. इ. रि. स. .... 153/2023 दिनांक 15/6/2023

2. (अ) अधिनियम ...भ्र0नि0अधिनियम(यथा सशोंधन 2018) अधिनियम 1988 ......धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन) 2018.

(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें ....

(स) अधिनियम ....धारायें..........

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 288 समय........ 1:00 pm ....

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 14.06.2023 समय 01.33 पी.एम. ....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 27.04.2023 समय.......01.00 पी.एम..........

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक –

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर से दक्षिण–पश्चिम दिशा में करीब 8 किलोमीटर..........

(ब) पता – कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ....

..........बीट सख्या ....जरायमदेही सं..........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना..........जिला..........

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम.... श्री अमित सोनी ....

(ब) पिता का नाम श्री राजेश कुमार ....

(स) जन्म तिथि /वर्ष साल..............27 साल..........

(द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....

(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..........जारी होने की जगह..........

(र) व्यवसाय...... ....तकनीकिविद..........

(ल) पता ... 32 हर्ष विहार कॉलोनी जयपुर रोड अजमेर ....

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री प्रवीण तत्ववेदी पुत्र स्व0 श्री श्रीगोपाल तत्ववेदी जाति वैष्णव उम्र 48 वर्ष निवासी 13, शिव शक्ति कॉलोनी कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर हाल भू0अ0नि0(नोर्थ जोन) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ....

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..........

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

..........20,000 रू0 रिश्वत राशि..........

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..........

..........20,000 रू. रिश्वत राशि ....

11 ....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै प्रार्थी नगर मित्र का कार्य करता हॅ। मुझे नगर निगम अजमेर द्वारा आर्किटेक्ट का लाइसेंस पत्र क्रमांक न0नि0अ0/एम0बी0/1390 दिनांक 21.09.022 से अधिकृत कर रखा है। मैं तकनीकीविद के रूप मे कार्य अपने घर पर कार्यालय कमरे मे संचालित करता हूँ। मेरे द्वारा भूखण्ड व भवनो के मानचित्र व पटटे सम्बन्धित पत्रावलियां तैयार की जाती है मेरे द्वारा ही सम्बन्धित विभाग अजमेर विकास प्राधिकरण व अन्य विभागों मे जमा कराई जाती है। दिनांक 28.03.2022 को मेरे द्वारा श्री सुभाष चन्द्र सैनी निवासी एम–35 सागर विहार कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर के भूखण्ड संख्या 04 खसरा संख्या 463 राजस्व ग्राम नौसर रातीडांग अजमेर भूखण्ड क्षेत्रफल 200 वर्ग गज 1167.2 वर्ग मीटर का आवासीय पटटा प्राप्त करने हेतु नियमन पत्रावली मेरे द्वारा तैयार की गई तथा तैयार मानचित्रों पर मेरे हस्ताक्षर व सील अंकित की गई। दिनांक 28.03.2023 को श्री सुभाष चन्द्र सैनी की पत्रावली मेरे द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर मे एकल खिडकी पर जमा कराई गई। इससे पूर्व दिनांक 27.03.023 को श्री प्रवीण तत्वेदी भू–अभिलेख निरीक्षक जो अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर मे पदस्थापित है मिले तो मैने श्री सुभाष चन्द्र सैनी की पत्रावली तैयार करने तथा नियमन हेतु अतिशीघ्र जमा कराने हेतु उन्हे बताया तो श्री प्रवीण तत्वेदी नौसर क्षेत्र के भू–अभिलेख निरीक्षक होने के कारण उनके द्वारा मौका रिपोर्ट की जाने के एवज मे मेरे से 25,000 रू0 रिश्वत की मांग की गई। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। श्री प्रवीण तत्वेदी भू0अ0नि0 से मेरा किसी प्रकार का उधार व लेन–देन बकाया नहीं है। कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करावें। दिनांक 27.04.2023 प्रार्थी एसडी अमित पुत्र श्री राजेश कुमार उम्र 27 वर्ष हर्ष विहार कॉलोनी जयपुर रोड अजमेर मोबाईल नं0 7014058730

कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर

दिनांक 27.04.2023 को परिवादी श्री अमित निवासी 32 हर्ष विहार कॉलोनी जयपुर रोड अजमेर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट, अजमेर के नाम सम्बोधित कर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पढकर अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी श्री अमित से दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मैं प्रार्थी नगर मित्र का कार्य करता हूं। मुझे नगर निगम अजमेर द्वारा आर्किटेक्ट का लाईसेंस पत्र क्रमांक न.नि.अ./एम.बी./1390 दिनांक 21.09.2022 से अधिकृत कर रखा है। मैं तकनीकीविद का कार्य अपने घर पर ही संचालित करता हूं। मेरे द्वारा भूखण्ड व भवनों के मानचित्र व पट्टे से सम्बन्धित पत्रावलियॉ तैयार कर सम्बन्धित विभाग मे जमा करायी जाती है। मुझे मुख्य नगर नियोजक राज0 सरकार जयपुर से नगर मित्र के रूप मे पंजीकृत भी कर रखा है तथा मेरी फर्म मैसर्स डायनामिक कन्सल्टिंग इंजीनियर्स 2/91, पंचशील नगर माकडवाली रोड अजमेर द्वारा अपने पत्रांक 351 दिनांक 15.9.21 से अपॉइण्ट भी कर रखा है। मै नगर मित्र एवं तकनीकिविद होने की वजह से नगर निगम अजमेर, नगरपालिका, नगर परिषद एवं अजमेर विकास प्राधिकरण में भूखण्डधारी द्वारा पटटे बनाए जाने हेतु मानचित्र तैयार कर पत्रावलियां सम्बन्धित विभाग मे जमा कराने का कार्य करता हूॅ। मेरे द्वारा श्री सुभाष चंद सैनी निवासी M 35 सागर विहार कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर के भूखण्ड संख्या 04 खसरा सख्या 463 राजस्व ग्राम नौसर रातीडांग अजमेर के भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज का आवासीय पट्टा जारी करवाने हेतु नियमन पत्रावली तैयार कर दिनांक 28.3.23 को अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की एकल खिडकी पर जमा कराई गई। पत्रावली के जमा कराये जाने के पश्चात मै दिनांक 26.04.23 को अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर मे पदस्थापित श्री प्रवीण तत्वेदी भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट कराये जाने हेतु मिला तो उसने मेरे से श्री सुभाष चंद सैनी की पत्रावली मे मौका रिपोर्ट करने एवं शीघ्र नियमन कराये जाने हेतु मेरे से 25,000 रूपये रिश्वत के रूप मे मांग की गई। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूॅ बल्कि रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूॅ। दरियाफ्त में परिवादी से पूछताछ करने पर आरोपी से किसी प्रकार का कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं होकर किसी प्रकार की कोई रंजिश अथवा द्वेष भावना नही होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना अवगत कराया। परिवादी ने अपना एवं क्लाइंट श्री सुभाष चन्द्र सैनी का भी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर मे किसी प्रकार की कोई राजस्व राशि अथवा उक्त प्रकरण को लेकर कोई शेष राशि जमा करायी जाना बकाया नहीं होना बताया। प्रकरण मे पटटा जारी करने एवं नियमन करने की कार्यवाही के दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा डिमाण्ड नोटिस जारी होने के उपरान्त ही राशि जमा कराए जाने के प्रावधान निहित है। परिवादी द्वारा दौराने दरियाफ्त अपने क्लाइंट श्री सुभाष चंद सैनी पुत्र श्री मालीराम सैनी भूखण्ड संख्या 04 ग्राम नौसर रातीडांग अजमेर की अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर मे जमा करायी गई पत्रावली की फोटो प्रति एवं अपने नगर मित्र के रूप मे कार्य करने तथा अपनी फर्म के द्वारा अपॉइण्ट करने से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतिया प्रस्तुत की गई, जो शामिल कार्यवाही की गई। दौराने दरियाफ्त परिवादी ने बताया कि उक्त भूखण्ड का नियमन किए जाने हेतु अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा डिमाण्ड राशि का परिपत्र मुझे व मेरे क्लाइंट को प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा मौके पर बताये गए तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के आधार पर मामला पी.सी. एक्ट के अपराध का घटित होने की सम्भावना से परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे मे अवगत कराया। कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस के कक्ष मे कार्यालय के श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0 नं0 11 को तलब किया गया। परिवादी एवं श्यामप्रकाश हैड कानि0 का आपस मे परिचय कराया जाकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराये जाने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री अमित ने बताया कि मेरे द्वारा दिनांक 28.3.23 को श्री सुभाष चंद सैनी की पत्रावली अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर में एकल खिडकी पर जमा कराई जा चुकी है। मै दिनांक 26.04.23 को आरोपी श्री प्रवीण कुमार से मिला तो उसने मेरे से रिश्वत राशि की मांग करते हुए बताया कि पत्रावली आपकी जमा हो चुकी है, परन्तु उसमे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है। जिसमे समय लगने की सम्भावना है। आप करीब 10–15 दिन बाद आकर मेरे से मिल लेवें। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आईन्दा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने हेतु पाबन्द कर रूख्स्त किया गया।

दिनांक 03.05.2023 को परिवादी श्री अमित सोनी ने जरिये वॉटसएप कॉल कर अवगत कराया कि मै आज आरोपी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दूंगा तथा मैं आपके कर्मचारी को अजमेर विकास प्राधिकरण के आस–पास मिल जाऊगा, चूंकि रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः समय करीब 03.02 पीएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय की आलमारी से कार्यालय का सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय एक मैमोरी कार्ड निकाला जाकर कार्यालय के श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0 को कार्यालय कक्ष मे बुलाकर डिजीटल वाईस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नं0 से अवगत कराकर परिवादी से अजमेर विकास प्राधिकरण पहुच सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराये जाने हेतु आवश्यक हिदायत दे रवाना किया गया। दिनांक 03.05.2023 को समय करीब 3 :59 पी.एम पर श्री श्याम प्रकाश मुख्य आरक्षक 11 ने जरिये मोबाइल मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि परिवादी श्री अमित सोनी से सम्पर्क कर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की समझाईश कर परिवादी को डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड करने हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण में एस.ओ. श्री प्रवीण तत्ववेदी भू.अ.नि. के पास रवाना किया गया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपातें हुए परिवादी पर नजर रखने लगा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री अमित सोनी अजमेर विकास प्राधिकरण के बाहर मुख्य सड़क पर मेरे पास आये। परिवादी से वॉइस रेकार्डर प्राप्त किया गया तो वॉइस रेकार्डर बंद अवस्था मे मिला। जिसे चालु कर सुना गया तो किसी प्रकार की कोई वार्ता दर्ज होना नहीं पाया गया। जिस पर परिवादी से पूछा गया तो उसने बताया कि मैने रेकार्डर चालु किया था, परन्तु किन्ही कारणों से बंद हो गया हो तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। रेकार्डर को मन् मुख्य आरक्षक के पास सुरक्षित रखकर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत कराया कि मेरी आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी भू.अ.नि. से वार्ता की गयी है, उसने मुझे दिनांक 11.05. 2023 को समय 11:00 ए.एम. पर अजमेर विकास प्राधिकरण वापस बुलाया है तथा उसी दिन मौका देखकर रिपोर्ट करने हेतु कहा है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्यामप्रकाश हैड कानि0 को आईन्दा दिनांक 11.05.2023 को परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन कराये जाने की हिदायत कर कार्यालय पहुचने की हिदायत प्रदान की एवं परिवादी को मौके से ही आवश्यक हिदायत देकर रूख्स्त करने के निर्देश दिये। दिनांक 03.05.2023 समय करीब 4.20 पी.एम पर श्री श्याम प्रकाश हैड कानिस्टेबल 11 कार्यालय पर उपस्थित हुआ तथा सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया किं एस.ओ. व परिवादी के मध्य जो वार्ता रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय की गयी है जो वॉइस रेकार्डर में दर्ज नही हो पायी है। प्रस्तुतशुदा वाईस रिकार्डर को चालु कर सुना तो किसी प्रकार की वार्ता दर्ज होना नहीं पाया गया। चूंकि परिवादी ने आरोपी द्वारा दिनांक 11.05.23 को मिलने बाबत बताया है। अतः आईन्दा दिनांक 11.05.23 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0 को पाबन्द कर डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय की आलमारी मे रखा गया। दिनांक 11.05.2023 समय करीब 12.05 पीएम पर परिवादी श्री अमित सोनी कार्यालय मे मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया व बताया कि आज दिनांक को आरोपी से मेरे कार्य व रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे वार्ता होनी है। मेरी जानकारी के अनुसार आरोपी कार्यालय मे मौजुद है तथा उसने मुझे पूर्व मे आज दिनांक को मिलने हेतु कहा है। अतः मै आज अजमेर विकास प्राधिकरण जाकर आरोपी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा सकता हूँ। इस पर कार्यालय के श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0 को कार्यालय कक्ष मे तलब कर डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत प्रदान कर परिवादी व हैड कानि0 श्यामप्रकाश को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध मे वार्ता करने हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण के लिए रवाना किया गया। दिनांक 11.05.2023 समय करीब 04.00 पीएम पर परिवादी व श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0 उपस्थित कार्यालय आए व डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुए श्यामप्रकाश हैड कानि0 ने अवगत कराया कि मै समय करीब 12.30 पीएम के आस–पास अजमेर विकास प्राधिकरण पर परिवादी के साथ उपस्थित हुआ। जहा आरोपी की कार्यालय मे उपस्थिति के बारे मे जानकारी लेने हेतु परिवादी श्री अमित के मोबाईल नं0 7014058730 से आरोपी श्री प्रवीण तत्वेदी के मोबाईल नं0 9928066435 पर वार्ता करायी गई तो आरोपी ने स्वयं को माकडवाली होना व दस मिनट मे कार्यालय पहुचने बाबत बताया। उक्त वार्ता परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु कर वार्ता दर्ज की गई। कुछ समय बाद आरोपी की उपस्थिति की जानकारी हेतु समय करीब 01.02 पीएम पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर वार्ता करायी गई तो आरोपी ने कार्यालय मे उपस्थित होना

अवगत कराया। उक्त वार्ता को प्रक्रियानुसार कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु कर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर दर्ज की गई। समय करीब 01.05 पीएम पर परिवादी को डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमारी कार्ड चालु कर आरोपी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध मे वार्ता की जाने हेतु आवश्यक समझाईश कर अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय की ओर रवाना किया गया तथा उसके पीछे–पीछे मै स्वयं भी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास मे अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय मे मौजूद रहा। समय करीब 01.35 पीएम के आस–पास परिवादी श्री अमित सोनी एक कमरे से बाहर निकलकर कार्यालय से नीचे की ओर जाता हुआ नजर आया। जिसके पीछे–पीछे जाकर मैने परिवादी से कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर प्राप्त कर बंद किया तथा परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी के मध्य वार्ता हो गई है, वार्ता के अनुसार आरोपी ने लंच के बाद मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट करने हेतु अवगत कराया है। परिवादी द्वारा बताये गए कथनो की ताईद हेतु मन् हैड कानि0 द्वारा रेकार्डर मे दर्ज आवाज को सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। समय करीब 02.05 पीएम पर पुनः आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता के अनुसार परिवादी को वॉइस रेकार्डर चालु कर अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय के लिए रवाना किया गया। थोडी देर बाद परिवादी व एक अन्य व्यक्ति अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय से बाहर निकलकर मेरे सामने ही परिवादी के वाहन मे बैठकर परिवादी के क्लाइंट श्री सुभाष चन्द्र सैनी के भूखण्ड का मुआयना करने हेतु रवाना हुए। मै भी उनके पीछे–पीछे श्री सैनी के भूखण्ड एम0पी0एस0 के पीछे की ओर रवाना हुआ। परिवादी व आरोपी श्री सैनी के भूखण्ड पर पहुचे। जहा मुआयना करने के उपरान्त परिवादी व आरोपी अजमेर विकास प्राधिकरण के लिए परिवादी के वाहन से रवाना हो गए। मै भी उनके पीछे–पीछे अजमेर विकास प्राधिकरण पर उपस्थित आ गया। समय करीब 03.00 पीएम पर परिवादी मेरे पास उपस्थित आया व डिजीटल वॉइस रेकार्डर मुझे प्रस्तुत किया जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मै अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय मे जाकर श्री प्रवीण तत्ववेदीजी से मिला तथा उनके साथ वहा से रवाना होकर मेरे क्लाइंट के भूखण्ड पर पहुचा। जहा पर श्री तत्ववेदीजी ने मौका मुआयना कर वार्ता करते–करते मेरे से श्री सुभाष सैनी के भूखण्ड का मौका मुआयना करने तथा आवासीय पटटा का नियमन करने हेतु मेरे से 25,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग की जो वॉइस रेकार्डर मे दर्ज है। मेरे द्वारा वॉइस रेकार्डर मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताए कथनो की ताईद हुई एवं दर्ज वार्ता के अनुसार आरोपी ने परिवादी से उसके आवासीय पटटे का नियमन करने एवं मौका मुआयना करने की एवज मे 25,000 रू0 रिश्वत राशि मांग किया जाना पाया गया। उपस्थित परिवादी एवं हैड कानि0 द्वारा बताये गए कथनो की ताईद किए जाने हेतु परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को उपरोक्त तथ्यों का सही होना अवगत कराया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा बताए तथ्यों की ताईद की जाने हेतु कार्यालय के श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0 द्वारा सुपुर्द किये गए वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो परिवादी से आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी भू0अ0नि0 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा श्री सुभाष सैनी के भूखण्ड का आवासीय पटटा एवं नियमन करने की एवज मे 25,000 रू0 रिश्वत राशि मांग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किए जाने हेतु रिश्वत राशि की व्यवस्था कर पेश किए जाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी रूपये की व्यवस्था नहीं है। मै रूपये की व्यवस्था होने पर आपके समक्ष उपस्थित हो जाउंगा। अभी नियमन एवं पटटे की कार्यवाही मे समय लगने की सम्भावना है। अतः मै जल्दी ही रूपये की व्यवस्था कर आपको अवगत करवा दूंगा। ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सकें। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर नियत समय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया जाकर रूख्स्त किया गया तथा परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता के मैमोरी कार्ड को मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित हालात मे रखा गया। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही एवं फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाएगी। दिनांक 24.05.2023 समय करीब 01.30 पीएम पर परिवादी श्री अमित सोनी कार्यालय मे उपस्थित आया एवं बताया कि मुझे क्लाइंट श्री सुभाष चंद सैनी के प्लाट संख्या 4 का पटटा जारी कराने के लिए आरोपी के साथ दिनांक 11.05.23 को मौका दिखाने के बाद वर्तमान स्थिति के बारे मे पता करने जाना है कि आरोपी द्वारा उक्त पत्रावली पर अग्रिम प्रोसीडिंग शुरू की है या नहीं ? परिवादी ने बताया कि मेरे क्लाइंट श्री सुभाष चंद सैनी से जानकारी प्राप्त करने पर उन्होने बताया कि अभी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर से किसी प्रकार का कोई राशि जमा कराने से सम्बन्धित पत्र अथवा डिमाण्ड नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादी द्वारा बताये गए

तथ्यों के आधार पर कार्यालय के श्री श्याम प्रकाश हैड कानि0 को परिवादी के साथ सरकारी डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड इश्यू कर परिवादी के साथ जाने एवं आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को रेकार्ड करने के निर्देश दिये। जिस पर समय करीब 02.05 पीएम पर परिवादी श्री अमित व श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0 को वॉइस रेकार्डर मे नया मैमोरी कार्ड दिया जाकर कार्यालय के सरकारी वाहन मोटरसाईकिल से अजमेर विकास प्राधिकरण के लिए रवाना किया गया। श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0 ने जरिए मोबाईल से मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मन् हैड कानि0 व परिवादी अजमेर विकास प्राधिकरण के पास पहुचे। मन् हैड कानि0 द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर अपनी पत्रावली मे अग्रिम कार्यवाही की जानकारी की जाने हेतु आरोपी से वार्ता करने हेतु कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड संधारित कर चालु स्थिति मे परिवादी श्री अमित सोनी को रवाना किया गया। थोडी देर पश्चात ही परिवादी श्री अमित सोनी मन् हैड कानि0 के पास अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय से निकलकर उपस्थित आया तथा वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन् हैड कानि0 को सुपुर्द किया गया, जिसे मेरे द्वारा बंद किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने अवगत कराया कि मेरी आरोपी श्री प्रवीण कुमार तत्वेदी से वार्ता हो चुकी है तथा उसने बताया कि आपकी पत्रावली मे अभी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा ढाई–तीन महिने लगने की सम्भावना है। मेरे पास अन्य कार्य भी है तथा उसने बिना रूपये दिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होना अवगत कराया। जिस पर मेरे द्वारा अपने पास मे पहले से मौजुद पडे 5,000 रू0 निकालकर आरोपी श्री प्रवीण कुमार तत्वेदी को दिये तो उसने कहा कि 5,000 रू0 से कुछ नहीं होगा तो मैने बताया कि मै बाहर गया हुआ था। मेरे क्लाइंट श्री सुभाष चंद सैनी से मेरी कोई वार्ता नहीं हुई है एवं नाही उसने मुझे अभी तक किसी प्रकार के रूपये दिए है। यह राशि मै अपने जेब से दे रहा हूँ। मै बाद मे उनसे एक साथ प्राप्त कर लूंगा, इस पर आरोपी ने 5,000 रू0 लेकर अपनी जेब मे रख लिए। मैने उनको कहा कि बाकि 20,000 रू0 मै आपको कल परसो मे दे दूंगा। मेरे द्वारा उनको प्लाट के नियमन करने की एवज मे डिमाण्ड राशि बाबत पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त राशि वर्गमीटर के हिसाब से वसूल की जानी है, जो नियमानुसार ही ली जाकर आपसे जरिए डिमाण्ड प्राप्त कर ली जाएगी, तत्पश्चात मै अपने प्लाट की राशि के सम्बन्ध मे वार्ता कर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। परिवादी द्वारा बताये गए कथनो की ताईद हेतु आरोपी व परिवादी के मध्य दर्ज वार्ता को वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु कर सुना तो परिवादी के बताए गए कथनो की पुष्टि हुई। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिये गए निर्देशों के मुताबिक हैड कानि0 मय परिवादी श्री अमित सोनी रवाना होकर एसीबी कार्यालय स्पेशल यूनिट–अजमेर उपस्थित आए। हैड कानि0 ने डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया तथा परिवादी ने उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया, कथनो की ताईद हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को परिवादी के समक्ष सुनी गई तो आरोपी ने परिवादी से वार्ता के समय ही 5,000 रू0 लिये जाने की ताईद हुई तथा शेष रिश्वत राशि आईन्दा लिया जाना बताया है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने हेतु कहा गया तो उसने बताया कि अभी मेरे पास 5,000 रू0 ही थे, जो मेने आरोपी के मांगने पर उसे दे दिये। अभी मेरे क्लाइंट श्री सुभाष चंद सैनी का किसी प्रकार का कोई डिमाण्ड का नोटिस भी जारी नहीं किया गया है तथा आरोपी ने भी रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कोई समय नहीं दिया है। मेरे पास रूपये की व्यवस्था हो जाने एवं डिमाण्ड नोटिस प्राप्त होने पर मै रूपये लेकर आपके समक्ष जल्द ही उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर रूख्स्त किया गया तथा मूल डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुरक्षित हालात मे कार्यालय की आलमारी मे रखा गया, जिसकी फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वार्ता आईन्दा परिवादी एवं गवाहान के उपस्थित आने पर अलग से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की जाएगी। दिनांक 02.06.2023 को परिवादी श्री अमित सोनी उपस्थित कार्यालय आया व अवगत कराया कि मेरे पास रिश्वत राशि 20,000 रू0 की व्यवस्था हो चूकी है तथा मेरे क्लाइंट का कार्य भी जानकारी के अनुसार अन्तिम स्टेज पर है तथा आरोपी भी कार्यालय मे मौजुद होने की सम्भावना है। अतः आज रिश्वत राशि का आदान–प्रदान किया जाना उचित है। परिवादी द्वारा बताये गए कथनो के अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया अपनाये जाने हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय से एक तहरीर जारी कर कार्यालय जिला औषधी नियंत्रक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, अजमेर जोन अजमेर से स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु कार्यालय के श्री मनीष कुमार कानि0 चालक को जरिए सरकारी वाहन बोलेरो के रवाना किया गया। रवानाशुदा श्री मनीष कुमार कानि0 चालक

मय दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम (1) श्री अंकित सोलंकी कनिष्ठ सहायक (2) श्री नवदीप सिंह पंवार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक औषधी नियंत्रक अजमेर होना अवगत कराया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में आवश्यकता है। परिवादी श्री अमित सोनी तथा तलबशुदा गवाहान श्री अंकित सोलंकी कनिष्ठ सहायक व श्री नवदीप सिंह पंवार कनिष्ठ सहायक कार्यालय पर उपस्थित होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में आरोपी श्री प्रवीण तत्वेदी भू–अभिलेख निरीक्षक अ0वि0प्रा0 अजमेर व परिवादी श्री अमित सोनी के मध्य दिनांक 11.05.2023 व दिनांक 24.05.23 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशों को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने आरोपी श्री प्रवीण तत्वेदी भू0अ0नि0 द्वारा परिवादी श्री अमित कुमार के क्लाइंट श्री सुभाष सैनी के भूखण्ड का मौका मुआयना कर आवासीय पटटे का नियमन करवाने की एवज मे दौराने मांग सत्यापन दिनांक 24.05.23 को 5,000 रू0 प्राप्त करना व शेष 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की ताईद हुई। मैमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता एवं परिवादी से हुई दरियाफ्त के आधार पर उपस्थित गवाहान द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान सम्मलित होने की अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान की। कार्यालय के श्री कपिल कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.05.23 की फर्द ट्रांसकिप्ट शब्द–ब–शब्द तैयार की गई, फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 11.05.23 के मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 2 सीडियॉ तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड दिनांक 11.05.23 को एक कपड़े की थैली में रखकर सिल्ड कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्ड कर आरोपी हेतु तैयार की गई एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया गया। दिनांक 24.05.23 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई दर्ज वार्ताओ के मूल मैमारी कार्ड को सुरक्षित मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास कार्यालय की आलमारी मे रखा गया। श्री अमित सोनी को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी भूअनि को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपनी जेब में से निकाल कर पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये की राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट प्रस्तुत किए। प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटों के दोनों ओर कार्यालय के श्री हुकमाराम कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया को समझाया। कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। समस्त स्टाफ एवं गवाहान के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये। परिवादी श्री अमित सोनी को रिश्वत राशि देने के उपरान्त किये जाने वाले ईशारे के बारे में अवगत कराया गया तथा आवश्यक हिदायत बरतने के निर्देश दिये गये तथा परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड संधारित कर वक्त लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को दर्ज करने हेतु आवश्यक समझाईश कर सुपुर्द किया गया। दौराने कार्यवाही परिवादी श्री अमित सोनी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व आरोपी से उसकी सकूनत के बारे मे पूछताछ किया जाना उचित होगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अमित सोनी को आरोपी के मोबाईल नं0 पर वार्ता करने हेतु कहा गया, तो आरोपी ने परिवादी के मोबाईल फोन को रिसीव नहीं किया। पुनः मोबाईल पर वार्ता कराने का प्रयास किया गया, तो आरोपी ने किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर अथवा फोन रिसीव नहीं करना

पाया गया। तत्पश्चात परिवादी को आरोपी की सकूनत एवं कार्यालय मे उपस्थित होने के सम्बन्ध मे जरिए सूत्र पूछताछ करने हेतु कहा गया, तो परिवादी ने अपने सूत्रों से मालुमात किया कि आरोपी अपने कार्यालय मे मौजुद नहीं है एवं नाही मोबाईल फोन रिसीव कर रहा है। बार–बार मोबाईल पर फोन करने से उसको शंका होने की सम्भावना है तथा आरोपी कार्यालय मे भी मौजुद नहीं है। परिवादी ने स्वतः ही बताया कि आज आरोपी से रिश्वत राशि का लेन–देन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः आईन्दा आरोपी के उपस्थिति के बारे मे आवश्यक जानकारी की जाकर ट्रेप कार्यवाही की जावेंगी। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा भी अपने सूत्र मामुर कर आरोपी की सकूनत के बारे मे उसके कार्यालय मे होने के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की गई तो आरोपी का अपने कार्यालय मे उपस्थिति नहीं होकर बाहर होना जानकारी प्राप्त हुई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 20,000 रू0 को एक सफेद कागज के लिफाफे मे सुरक्षित रखवाकर परिवादी से पूर्व मे सुपुर्दशुदा वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर मन् उप अधीक्षक पुलिस की आलमारी मे सुरक्षित हालात मे रखवाये गए। परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान की गई की जब भी आरोपी अपने कार्यालय मे उपस्थित रहे तो उसके बारे मे पूर्ण जानकारी कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराते हुए उपस्थित होवें। तत्पश्चात परिवादी व दोनो गवाहान को गोपनीयता रखने की समझाईश कर रूख्स्त किया गया। कार्यवाही के दौराने तैयार किये गए समस्त दस्तावेज, रनिंग नोट, रिश्वत राशि नोट का लिफाफा डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित हालात मे रखे गए। दिनांक 14.06.2023 को परिवादी श्री अमित सोनी कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि आज आरोपी श्री प्रवीण कुमार तत्ववेदी का जरिए सूत्र ज्ञात करने पर कार्यालय मे उपस्थित है। जिनसे आज रिश्वत राशि के लेन–देन की कार्यवाही की जा सकती है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबशुदा गवाहान श्री अंकित सौलंकी व श्री नवदीप सिंह को जरिए मोबाईल वार्ता कर अविलम्ब कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश दिये गए तथा कार्यालय स्टाफ को भी ट्रेप कार्यवाही बाबत अवगत कराकर कार्यालय मे उपस्थित होने एवं ट्रेप कार्यवाही मे सम्मिलित होने के निर्देश प्रदान किए। ट्रेप कार्यवाही मे आरोपी के निवास स्थान की तलाशी हेतु महिला अधिकारी की आवश्यकता होने से ब्यूरो इकाई अजमेर से श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस को जरिए दूरभाष तलब कर कार्यालय मे शीघ्र उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। तलबशुदा गवाहान श्री अंकित सौलंकी व श्री नवदीप सिंह तथा श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस उपस्थित कार्यालय आए। उपस्थित गवाहान से परिवादी श्री अमित सोनी का आपस मे परिचय कराया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु अवगत कराया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु कार्यालय की आलमारी मे रखे डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय दिनांक 24.05.23 को काम मे लिया गया मैमोरी कार्ड, रिश्वत राशि लिफाफा एवं पत्रावली कार्यालय की आलमारी से निकलवाया जाकर कार्यालय के श्री हुकमाराम कानि0 से लिफाफे मे रखवाये गए फिनोफ्थलीन पावडरयुक्त रिश्वत राशि नोटो को परिवादी श्री अमित सोनी की जामा तलाशी गवाह श्री अंकित सौलंकी से लिवायी जाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे कानि0 हुकमाराम से रखवाये गए तथा परिवादी को आरोपी की सकूनत के बारे मे जानकारी ली गई तो उपस्थित परिवादी ने बताया कि मै आरोपी से जरिए मोबाईल फोन वार्ता कर उसकी उपस्थिति के बारे मे जानकारी प्राप्त कर लूंगा। समय करीब 12.20 पीएम पर परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल फोन पर वार्ता करायी गई तो आरोपी ने एक घण्टे बाद कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु बताया। आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त की गई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड मे दर्ज की गई। दर्ज वार्ता को सुनने पर परिवादी के द्वारा बताये कथनो की ताईद हुई। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार की जावेंगी। ट्रेप कार्यवाही मे आरोपी के निवास स्थान की तलाशी लिए जाने हेतु श्री संग्राम सिंह उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस, श्री गोविन्द हैड कानि0 व श्री अर्जुनलाल कानि0 को कार्यालय का सरकारी वाहन लेकर आरोपी के निवास स्थान किशनगढ के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात परिवादी को कार्यालय का वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर कार्यालय के श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0 के साथ मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश कुमार हैड कानि. 114 व गवाह श्री अंकित सौलंकी कनिष्ठ सहायक प्राईवेट वाहन से तथा कार्यालय के श्री कपिल कानि0 नं0

377 को निजी मोटरसाईकिल से तथा श्री लखन कानि0 नं0 420 व स्वतन्त्र गवाह श्री नवदीप सिंह पंवार कनिष्ठ सहायक को निजी मोटरसाईकिल से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवश्यक हिदायत के कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के लिए रवाना हुआ। श्री हुकमाराम कानि0 को कार्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान परिवादी व स्टाफ के कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के पास पहुँचे। जहा मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को ईशारे से रूकवाया जाकर मोटरसाईकिल साईड मे खडी करवाकर आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी भू0अ0नि0 से अपने कार्य के सम्बन्ध मे वार्ता करने व रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया। परिवादी के पीछे–पीछे श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0, श्री कपिल कानि0 व श्री लखन कानि0 तथा श्री नवदीप सिंह स्वतन्त्र गवाह को अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को यथासम्भव सुनने व देखने की हिदायत कर रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अजमेर विकास प्राधिकारण कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकीम हुए। समय करीब 01.33 पीएम पर परिवादी श्री अमित सोनी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिए मोबाईल फोन से मिस्ड कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश कुमार हैड कानि., श्री श्यामप्रकाश हैड कानि0, श्री कपिल कुमार कानि., श्री लखन कानि. व मय उपरोक्त मौतबिरान को लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय मे प्रवेश किया। जहा प्रथम तल पर बनी भू–अभिलेख शाखा कमरा नं0 36 के सामने परिवादी श्री अमित सोनी उपस्थित मिला, परिवादी ने वॉइस रेकार्डर निकालकर प्रस्तुत किया, जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वॉइस रेकार्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी भू0अ0नि0 ने मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर नोटो को गिनकर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की बायीं जेब मे रखे है तथा मेरे कार्य के लिए श्री सुभाष चन्द्र सैनी की पत्रावली मे आईन्दा शीघ्र ही ए0टी0पी0 शाखा से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कहा है। आरोपी मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने समीप ही उपायुक्त महोदय के कक्ष मे चला गया है, जो अभी उपायुक्त के कक्ष मे मौजुद है। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के बताये तथ्यों की ताईद हेतु उपायुक्त कार्यालय कक्ष मे प्रवेश किया। जहा प्रवेश करते ही परिवादी ने एक हष्ट–पुष्ट व्यक्ति जो कि हल्के नीले रंग की शर्ट पहना हुआ था की ओर ईशारा कर बताया कि यही व्यक्ति प्रवीण तत्ववेदी भू0अ0नि0 है जिन्होने अभी थोडी देर पहले ही मेरे से 20,000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांई जेब मे रखे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति घबरा गया व कुछ नहीं बोला। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को तसल्ली देकर उससे उसका परिचय जाना तो उसने अपना नाम श्री प्रवीण तत्ववेदी पुत्र स्व0 श्री श्रीगोपाल तत्ववेदी जाति वैष्णव उम्र 48 वर्ष निवासी 13, शिव शक्ति कॉलोनी कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर हाल भू0अ0नि0(नोर्थ जोन) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को परिवादी श्री अमित सोनी से प्राप्त की गई 20,000 रू0 की रिश्वत राशि के बाबत पूछताछ की गई तो आरोपी श्री प्रवीण चुप रहा तथा कुछ नहीं बोला, सिर झुका लिया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी को तसल्ली देकर परिवादी श्री अमित सोनी से उसके क्लाइंट श्री सुभाष चन्द्र सैनी के भूखण्ड संख्या 04 ग्राम नौसर का नियमन करवाने की एवज मे 20,000 रू0 प्राप्त करने के सम्बन्ध मे पूछा तो उपस्थित आरोपी ने स्वतः ही बताया कि अभी थोडी देर पहले ही श्री अमित सोनी मेरे पास आए थे, जिन्होने मेरे को श्री सुभाष चन्द्र सैनी के भूखण्ड का नियमन कराने के बदले मे 20,000 रू0 देकर गए है, मैंने इनसे किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है, यह झूठ बोल रहे है। इस पर उपस्थित परिवादी श्री अमित सोनी ने स्वतः ही आरोपी की उक्त वार्ता का खण्डन करते हुए बताया कि अभी थोडी देर पहले ही मै प्रवीण तत्ववेदी के पास भू–अभिलेख शाखा कमरा नं0 36 मे गया था जिन्होने मेरे से मेरे क्लाइंट श्री सुभाष चन्द्र सैनी पुत्र श्री मालीराम सैनी के भूखण्ड संख्या 04 खसरा नं0 463 ग्राम नौसर रातीडांग, अजमेर की नियमन पत्रावली मे नियमन करवाने की एवज मे पूर्व मे दिनांक 11.05.23 व दिनांक 24.05.23 को 25,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए दिनांक 24.05.23 को वक्त रिश्वत

राशि मांग सत्यापन के समय ही 5,000 रू0 लिए तथा शेष रिश्वत राशि आज दिनांक 14.06.23 को 20,000 रू0 मांग के अनुरूप ही मेरे से मांग कर बाएं हाथ से प्राप्त कर रूपए गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब मे रखे है। रिश्वत राशि प्राप्त करने के उपरान्त मेरे द्वारा आपको मेरे मोबाईल फोन से मिस्ड कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त करने का निर्धारित ईशारा किया गया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी को परिवादी श्री अमित सोनी से उसके क्लाइंट श्री सुभाष चन्द्र सैनी के भूखण्ड संख्या 04 ग्राम नौसर को नियमन करवाने की एवज मे 20,000 रू0 प्राप्त करने के सम्बन्ध मे पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि परिवादी श्री अमित सोनी सही बोल रहे है, मैने अभी कुछ देर पहले ही इनसे 20,000 रू0 अपने भू–अभिलेख निरीक्षक शाखा मे मेरी सीट पर बैठकर प्राप्त किए है, जो मेरी पेन्ट की बायीं जेब मे रखे हुए है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को पूर्व मे दिनांक 24.05.23 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय 5,000 रू0 प्राप्त करने के सम्बन्ध मे पूछा तो आरोपी ने स्वीकार किया कि मैंने पूर्व मे श्री अमित सोनी से उसके भूखण्ड के नियमन करवाने की एवज मे 25,000 रू0 की मांग करते हुए दिनांक 24.05.23 को 5,000 रू0 प्राप्त किए थे। इस पर आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी जोर–जोर से रोने लगा तथा कहा कि मुझे बचा लो, मेरे से गलती हो गई, मै आईन्दा इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं करूंगा। आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी को तसल्ली देकर चुप कराया गया तथा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु कहा। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री अमित सोनी ने स्वतः ही आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध मे बताया कि मैंने जो 20,000 रू0 दिए है, वह आरोपी ने अपने बाएं हाथ से प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब मे रखे है, जो आरोपी आपके समक्ष लेना स्वीकार किया है। चूंकि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेना स्वीकार किया है। अतः परिवादी के द्वारा आरोपी के बताए गए कथनो के खण्डन की कोई आवश्यकता नहीं है। रिश्वत राशि प्राप्त करने की पूर्ण ताईद होने पर आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी भू–अभिलेख निरीक्षक के दाहिने व बाएं हाथों को क्रमशः पोचों के उपर से कार्यालय के कानि0 श्री लखन व श्री कपिल कानि0 से पकडवाये जाकर प्रकियानुसार ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालकर कार्यालय में से साफ पानी लिया जाकर उक्त दोनों साफ कांच के गिलासों मे साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग–अलग गिलासो के घोल में श्री प्रवीण तत्ववेदी के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा–आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमंशः मार्क आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उपरोक्त चारो शीशियों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात उपस्थित स्वतन्त्र गवाह श्री अंकित सौलंकी से आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी भू–अभिलेख निरीक्षक की जामा तलाशी लिवायी गई तो आरोपी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायीं जेब से 500–500 रूपये के नोट, मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी, एक विभागीय परिचय पत्र कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा जारीशुदा, अ0वि0प्रा0 द्वारा जारी विभागीय परिचय पत्र, एक बैंक आफ बडौदा का अनिता वैष्णव के नाम का एटीएम, श्री प्रवीण कुमार का ड्राइविंग लाइसेंस, एक पेन कार्ड प्रवीण कुमार तत्ववेदी का, एक आधार कार्ड श्री प्रवीण कुमार, एक एसबीआई बैंक का एटीएम श्री प्रवीण कुमार तत्ववेदी का एवं पर्स मे 2,460 रू0 होना पाये गये। उपरोक्त जामा तलाशी मे पाये गए 500–500 रू0 के नोटो को गवाह श्री अंकित सौलंकी से गिनवाया गया तो 500–500 रू0 के कुल चालीस नोट होकर 20,000 रू0 होना बताया। उपरोक्त 500–500 रू0 की बरामदशुदा रिश्वत राशि नोटो का मिलान पूर्व से तैयारशुदा फर्द पेशकशी नोट से दोनो गवाहान से कराया गया तो बरामदशुदा नोट हूबहू होना पाये गए जिनका विवरण इस प्रकार हैं :–

1	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1WQ	751670
2	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5LB	429395
3	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2NU	580698
4	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4KE	181611

5	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8HS	871863
6	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0BM	172032
7	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3LB	623323
8	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8KN	329929
9	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4CA	175950
10	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2BA	407713
11	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7NF	745185
12	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AP	415220
13	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6FE	757015
14	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4KA	025369
15	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2BR	991787
16	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9KH	538648
17	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8GN	034203
18	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4ES	559718
19	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2BU	443318
20	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2DE	642585
21	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0CP	444546
22	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4SR	152433
23	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8TW	068991
24	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2AD	008451
25	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7EU	490047
26	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6HP	257153
27	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6EK	343634
28	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2RH	881775
29	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9FA	594450
30	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8UQ	606799
31	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0HR	779905
32	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1EE	464413
33	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8ES	465574
34	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0DG	685283
35	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9CM	992448
36	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1SR	454856
37	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4BW	100124
38	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2UH	142316
39	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8DH	690720
40	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0FQ	455521

उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि गवाह श्री अंकित सौलंकी के पास ही सुरक्षित रखवाई गई। आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी को परिवादी श्री अमित सोनी के क्लाइंट श्री सुभाष चन्द्र सैनी के भूखण्ड संख्या 04 ग्राम नौसर की पत्रावली के सम्बन्ध मे पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि उक्त पत्रावली मेरे द्वारा तैयार कर ए0टी0पी0 शाखा मे करीब 10 दिन पूर्व प्रेषित की जा चुकी है तथा उक्त पत्रावली वर्तमान मे एटीपी शाखा मे ही मौजूद है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय मे उपस्थित श्री हरिताभ आदित्य उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से उक्त पत्रावली को तलब फरमाया। जिस पर श्री हरिताभ आदित्य द्वारा एटीपी शाखा के श्री हेमन्त कुमार माथुर वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री अमित सोनी के क्लाइंट श्री सुभाष चन्द्र सैनी के भूखण्ड संख्या 04 ग्राम नौसर की नियमन पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। ए0टी0पी0 शाखा के श्री हेमन्त कुमार माथुर वरिष्ठ सहायक द्वारा श्री सुभाष चन्द्र सैनी की पत्रावली लाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की। उक्त पत्रावली के सम्बन्ध मे श्री हेमन्त कुमार माथुर वरिष्ठ सहायक को पूछा तो उसने बताया कि उक्त पत्रावली श्री गुरजीत सिंह के पास लम्बित है,जो वर्तमान मे अवकाश पर चल रहे है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त मूल पत्रावली को सुरक्षित कब्जे लेकर श्री हेमन्त कुमार माथुर वरिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट–अजमेर मे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गए। उक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर कार्यालय उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर मे लंच का समय होने से काफी भीड इकटठी होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही मे व्यवधान उत्पन्न होने

की सम्भावना को देखते हुए परिस्थिति अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान, बरामदशुदा रिश्वत राशि, माल वजह सबूत व आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी भू0अ0नि0 के अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर से ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट–अजमेर के लिए रवाना हुआ। समय करीब 02.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट–अजमेर पहुचा। जहा अग्रिम कार्यवाही के तहत आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की बांई जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद की गई है, उक्त जेब का धोवण प्राप्त किए जाने हेतु आरोपी के पहनने हेतु अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट को उतरवायी जाकर प्रकियानुसार एक साफ कांच का गिलास निकालकर कार्यालय मे से साफ पानी मंगवाया जाकर उक्त साफ कांच के गिलास को साफ करवाकर साफ पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के घोल में श्री प्रवीण तत्ववेदी के पहनी हुई पेन्ट की बांई जेब को उलटवाकर तैयारशुदा मिश्रण मे डुबोकर धुलवाया गया तो पेन्ट की बांई जेब के धोवण से प्राप्त मिश्रण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शीशियो को साफ कर पेन्ट की बांई जेब के धोवण को दो शीशीयो में आधा–आधा भरकर शीशियों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क पी–1 व पी–2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उपरोक्त दोनो शीशियों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी की पेन्ट की सामने की बायीं जेब को सुखाया जाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में सीलकर सिल्डचिट किया जाकर उक्त पैकेट को मार्क "पी" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री अंकित सौलंकी के पास पूर्व मे बरामदशुदा सुरक्षित रखी रिश्वत राशि 20,000 रू0 के नोटों पर सफेद कागज की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से कब्जाशुदा पत्रावली के सम्बन्ध मे उपस्थित श्री हेमन्त कुमार माथुर वरिष्ठ सहायक से परिवादी के क्लाइंट श्री सुभाष चन्द्र सैनी के प्लाट नं0 04 नौसर खसरा नं0 463 के सम्बन्ध मे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उक्त पत्रावली दिनांक 28.03.2023 को भू अभिलेख निरीक्षक शाखा में प्राप्त हुई थी। जिस पर सम्बधित शाखा द्वारा प्रपत्र "ब" की पूर्ति दिनांक 07.06.2023 को शाखा के कनिष्ठ अभियन्ता श्री राहुल जादम एवं श्री प्रवीण तत्ववेदी भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट कर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08.06.2023 को ए0टी0पी0 शाखा में प्रेषित की गई है। जिस पर ए0टी0पी0 शाखा में पदस्थापित श्रीमती प्रियंका, सहायक नगर नियोजक अ0वि0प्रा0 अजमेर द्वारा दिनांक 13.06.2023 को कार्यालय के श्री गुरजीत सिंह/श्री राजेश अजमेरा के नाम वास्ते प्रपत्र "स" (चैक लिस्ट) की नियोजन शाखा से सम्बधित पूर्ति किये जाने हेतु मार्क कर रखी है। वर्तमान में उक्त पत्रावली उक्त नगर नियोजक शाखा में नियोजन से सम्बधित पूर्ति की जाने हेतु लम्बित है। श्री गुरजीत सिंह दिनांक 07.06.2023 से 17.06.2023 तक अवकाश पर चल रहे है। उक्त पत्रावली अ0वि0प्रा0, अजमेर की ए0टी0पी0 शाखा से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने मे लम्बित है। प्रकरण में उक्त पत्रावली वांछित होने से पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ को पृष्ठांकन क्रम संख्या 01 से 31 तक की फोटो प्रतिया करवायी जाकर प्रमाणितशुदा पत्रावली की फोटो प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई तथा मूल पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु अ0वि0प्रा0 अजमेर कार्यालय के श्री हेमन्त कुमार माथुर वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी की जामा तलाशी मे मिली नगद राशि 2,460 रू0 के बारे में पूछताछ की गई तो आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि उक्त राशि मेरी वेतन बचत की राशि है, जो मैने घर खर्चे हेतु अपने पास रख रखी है। आरोपी द्वारा मौके पर राशि के सम्बन्ध मे दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक पाये जाने पर जामा तलाशी मे मिली नगद राशि 2,460 रू0, मोबाईल फोन, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आयकर कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड आरोपी को सुपुर्द किये गए। परिवादी द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करने के बाद मौके पर कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया। प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो रिकार्डर मे रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त वार्ता रेकार्ड होना पायी गई। मन् उप

अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी को वक्त रिश्वत राशि लेन–देन के समय परिवादी से हुई दर्ज वार्ता को गवाहान के समक्ष सुनाया गया तो आरोपी ने एक आवाज अपनी व दुसरी आवाज परिवादी श्री अमित सोनी की होना स्वीकार किया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की जावेंगी। बाद ट्रेप कार्यवाही सम्बन्धित घटना का नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की जावेंगी। आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु कार्यालय के श्री संग्राम सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ व गवाहान के समक्ष ली जाने के पूर्व निर्देश अनुरूप मुर्तिबशुदा फर्द खाना तलाशी शामिल पत्रावली की जावेंगी। ।

उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री अमित सोनी पुत्र श्री राजेश कुमार उम्र 27 वर्ष निवासी 32 हर्ष विहार कॉलोनी जयपुर रोड अजमेर से उसके क्लाइंट श्री सुभाष चन्द्र सैनी पुत्र श्री मालीराम सैनी के ग्राम नौसर स्थित भूखण्ड संख्या 04, खसरा नं0 463 के भूखण्ड को नियमन कराये जाने की एवज मे आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी हाल भू–अभिलेख निरीक्षक(नोर्थ जोन)अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा लोकसेवक के पद पर पदस्थापित रहकर अपने पद का दुरूपयोग किया जाकर दिनांक 11.05.23 व 24.05.23 को रिश्वत राशि 25,000 रू0 की मांग कर दिनांक 24.05.23 को वक्त मांग सत्यापन 5,000 रू0 प्राप्त किया जाना एवं उक्त रिश्वत राशि मांग के अनुरूप आज दिनांक 14.06.23 को 20,000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त करने पर रंगे हाथो पकडकर आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी के वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब से रिश्वत राशि 20,000 रू0 बरामद होने से आरोपी के दाहिने व बाए हाथ के धोवण का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी तथा पेन्ट की बांयी जेब के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी पुत्र स्व0 श्री श्रीगोपाल तत्ववेदी जाति वैष्णव उम्र 48 वर्ष निवासी 13, शिव शक्ति कॉलोनी कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक (नोर्थ जोन) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन) 2018 का कारित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र0नि0ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(राकेश कुमार वर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट–अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रवीण तत्ववेदी, भू-अभिलेख निरीक्षक(नोर्थ जोन), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 153/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक: 1156-59 दिनांक 15.6.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

15.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।